राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – (1–2) 794/2013 व 1049/2014.......... जिला ....हनुमानगढ़.......................................

उनवान : मै0 मित्तल सीड्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लि0 हनुमानगढ़ बनाम वा.क.अ./सहायक आयुक्त, वृत–ए, हनुमानगढ़.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य
श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

24/07/2015

पत्रावली पेश हुई।

अपीलार्थी द्वारा ये दो अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र उपायुक्त (अपील्स/अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 22/आरवैट/हनुमानगढ़/2012–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.03.2013 एवं अपील संख्या 108/आरवैट/हनुमानगढ़/2013–14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.04.2014 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'ए', हनुमानगढ़ (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि की गयी है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली पर स्थगन आदेश जारी करने हेतु स्थगन प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं। प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

अपील संख्या	क.नि.वर्ष	क.नि.आ.दि.	रिवर्स कर	ब्याज	क्रय कर	चाहा गया स्थगन
794/13	2009–10	03.2.2012	21,21,200	5,59,445	9,39,080	10,53,335
1049/14	2010–11	11.3.2013	25,83,956	10,95,506	12,00,244	15,13,166

अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री एस. एम. पेडीवाल तथा प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **एस.बी. वैट रिविजन पिटिशन नं0 135/2013 ब्रिजलाल पवन कुमार हनुमानगढ़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, हनुमानगढ़ में पारित निर्णय दिनांक 3.9.2014** की प्रति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में वर्तमान प्रकरणों के समान तथ्यों पर आधारित मांग को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किया गया है। अतः प्रकरणों में वसूली योग्य राशि पर स्थगन आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

24.7.2015

लगातार..........2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – (1–2) 794 / 2013 व 1049 / 2014.......... जिला ....हनुमानगढ़..................................

उनवान : मै0 मित्तल सीड्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लि0 हनुमानगढ़ बनाम वा.क.अ. / सहायक आयुक्त, वृत–ए, हनुमानग

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुक्म की तामील में जारी हुए
24 / 07 / 2015	राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों का विरोध करते हुए स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्धरित **निर्णय दिनांक 3.9.2014** का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरणों में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरणों में बकाया शेष राशि **रूपये 10,53,335 / – एवं रूपये 15,13,166 / –** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली वास्ते सुनवाई खण्डपीठ के समक्ष दिनांक 06.10.2015 को पेश हो। पक्षकारों को सूचित किया जावे। 27.7.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 24/07/2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	